140

Regd No. NW/CH-3

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 10, 1984 (BHADRA 19, 1906 SAKA)

HARYANA RAJ BHAVAN, CHANDIGARH

GENERAL ADMINISTRATION

CABINET SECRETARIAT

Notification

The 27th August, 1984

No. 3/7-Cabinet-84.– In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India and all other powers enabling me in this behalf, I, Sayed Muzaffar Husain Burney, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely :—

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Third Amendment Rules, 1984.

2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule, under the "Industries and Industrial Training Department" —

(a) after serial No. 9 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely :—

"9A. Directorate of Supplies and Disposals."; and

(b) serial number 39 and entry thereagainst shall be omitted.".

Dated, Chandigarh,
the 27th August, 1984.

SAYED MUZAFFAR HUSAIN BURNEY,
Governor of Haryana.

Dated, Chandigarh,
the 7th September, 1984.

P. P. CAPRIHAN,
Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा राज भवन, चण्डीगढ़

सामान्य प्रशासन

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 27 अगस्त, 1984

सं० 3/7-मंत्रिमण्डल-84.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) तथा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तथा मुझे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूं, अर्थात् :—

1. इन नियमों को हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) (तृतीय संशोधन) नियम, 1984, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 में, अनुसूची में, "उद्योग तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग" के नीचे —

(क) क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने दी हुई प्रविष्टि के बाद निम्न क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"9क. आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ।"; तथा

(ख) क्रम संख्या 39 तथा उसके सामने दी हुई प्रविष्टि हटा दी जाएगी।

दिनांक, चण्डीगढ़,
27 अगस्त, 1984 ।

सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी,
राज्यपाल, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़,
7 सितम्बर, 1984 ।

पी० पी० कैप्रीहन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

14587 CS (H)—Govt. Press, U.T., Chd.